राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Ph.: 0141-2706847 (O);

पत्रांक : CCE/ISDC/FDP/Gyan Ganga/2020-21/**358;** दिनांकः 23 फरवरी 2021

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय (निम्न सूचीनुसार),
राजस्थान।

ज्ञान गंगा कार्यक्रम

विषयः राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों में विषय दक्षता संवर्द्धन हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान एवं राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के संयुक्त तत्वावधान में **ज्ञान गंगा कार्यक्रम** के अन्तर्गत **लोक प्रशासन** विषय पर दिनांक **01–06 मार्च 2021** को राज्य स्तरीय ऑनलाईन प्रशिक्षण के आयोजन बाबत।

सन्दर्भः आकाशि का पत्रांक CCE/ISDC/FDP/Gyan Ganga/2020/**203;** दिनांक 15 जनवरी 2021 के क्रम में।

उपर्युक्त सन्दर्भ लेख है कि राजकीय कला महाविद्यालय अलवर द्वारा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के साथ संयुक्त तत्वावधान में दिनांक **01–06 मार्च 2021** को **"Initiatives for Teaching- Learning Excellence in Public Administration"** विषय पर निर्देशानुसार 06 दिवसीय शॉर्ट टर्म ऑनलाईन प्रशिक्षण का आयोजन करवाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबंधित विषय में अद्यतन ज्ञान एवं शिक्षण पद्धति में नवाचारपरक बिन्दुओं पर फोकस किया जायेगा। साथ ही प्रायोगिक ज्ञान संवर्द्धन के लिये Hands on Practice सत्र भी आयोजित करवाये जायेंगे।

निम्नलिखित संकाय सदस्यों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु नामित किया गया है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि –

1. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया जायेगा, जिसकी सभी तकनीकी व्यवस्थाएं राजकीय कला महाविद्यालय अलवर द्वारा करवाई जायेंगी।
2. प्रशिक्षण का प्रतिदिन न्यूनतम समय **2 घण्टा 30 मिनिट्स** का रहेगा, जो कि दोपहर **1.00 बजे से आरम्भ होकर अपरान्ह पश्चात 3.30 बजे तक रहेगा।** अतः **इस प्रयोजनार्थ किसी भी प्रतिभागी को अकादमिक/कर्त्तव्य अवकाश नहीं दिया जायेगा।** नामित संकाय सदस्यों को इस प्रशिक्षण को महाविद्यालय मे उपस्थित रहकर ही करना है।
3. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तिम आयोजन दिनांक 6 मार्च 2021 को आयोजित किया जायेगा। इस दिनांक तक ज्ञान गंगा के सभी प्रशिक्षण कार्य पूर्ण किये जाने हैं, अतः संबंधित प्राचार्य नामित संकाय सदस्य/सदस्यों को प्रशिक्षण अवधि में महाविद्यालयी कार्य से मुक्त रखें।
4. इस सूची में नामित संकाय सदस्य के महाविद्यालय के नाम के साथ अंकित उनके मूल पदस्थापन महाविद्यालय अथवा उनके कार्य व्यवस्थार्थ पदस्थापन महाविद्यालय के नाम में कोई अन्तर हो तो उन्हें इस आदेश के जरिये निर्देशित किया जाता है कि वे बिना किसी पूरक प्रश्न के अपने मूल पदस्थापन महाविद्यालय के आधार पर पंजीकृत करते हुए इस प्रशिक्षण में सहभागी बनें।
5. सभी नामित प्रशिक्षणार्थियों को आयोजक राजकीय महाविद्यालय द्वारा तैयार की गई लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसके लिये नामित संकाय सदस्य नीचे दिये गये मोबाइल नम्बर्स पर स्वयं सम्पर्क करके रजिस्ट्रेशन की जानकारी प्राप्त करेंगे एवं अपडेटेड रहेंगे। रजिस्ट्रेशन दाश्त्विप नामित संकाय सदस्य का हे और इसे समय रहते पूरा करें।

संकाय सदस्य को दुबारा नामित किया गया हो। सभी नामितों को निर्देशित कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करनी है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण हेतु आयुक्तालय में सम्पर्क नहीं करें। इस संबंध में पूर्व में जारी अन्तराल संबंधी निर्देश (आदेश कमांक 233; दिनांक 22 जनवरी 2021) को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है। सभी नामितों को इस कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन करना उनका स्वयं का उत्तरदायित्व है। **नामित व्यक्ति द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने की दशा में वे स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।**

7. सभी नामित सहभागी आयोजक राजकीय महाविद्यालय में इस प्रयोजनार्थ निम्न अधिकारियों से सम्पर्क करें, और अपने पंजीकरण की प्रकिया पूर्ण करें ताकि आयोजक महाविद्यालय द्वारा आगामी निर्देश प्रेषित किये जा सकें। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आयोजक महाविद्यालय द्वारा समूह में जुडने एवं रजिस्ट्रेशन करने संबंधी दिये जाने वाले निर्देशों का नामित सभी संकाय सदस्य पालन करेंगे।

- **डा. अर्जुन सिंह** **94146 40064**
- **डा. महेश चन्द गोठवाल** **94140 51465**
- **डा. भरत मीणा** **92527 21190**

8. **इस प्रशिक्षण हेतु नामित संकाय सदस्यों की सूची :–**

S. No.	Name of Faculty	Name of College
1.	अंशुपुरी	राजकीय महाविद्यालय वैर भरतपुर
2.	सुभाष चन्द्र	राजकीय महाविद्यालय बालोतरा
3.	सुखपाल सिंह राठौड़	राजकीय महाविद्यालय बनेडा
4.	मन्ना लाल मीणा	राजकीय महाविद्यालय बस्सी
5.	एस. के. उपाध्याय	राजकीय महाविद्यालय भरतपुर
6.	संजय कुमार सिन्हा	राजकीय महाविद्यालय भीलवाडा
7.	देवकान्त शर्मा	राजकीय महाविद्यालय भीलवाडा
8.	ज्ञानचन्द भारती	राजकीय महाविद्यालय भीलवाडा
9.	अपूर्व नागर (RVRES)	राजकीय महाविद्यालय भीम
10.	साधना भण्डारी	राजकीय महाविद्यालय बीकानेर
11.	दीपक शर्मा	राजकीय महाविद्यालय बीकानेर
12.	नीरू गुप्ता	राजकीय महाविद्यालय बीकानेर
13.	मीना रानी	राजकीय महाविद्यालय बीकानेर
14.	अच्छन राठौड़	राजकीय कन्या महाविद्यालय बीकानेर
15.	अमृता सिंह	राजकीय कन्या महाविद्यालय बीकानेर
16.	यादव सिंह	राजकीय महाविद्यालय बून्दी
17.	विवेक कुमार चूलेट	राजकीय महाविद्यालय चुरू
18.	लाल चन्द यादव	राजकीय महाविद्यालय डीडवाना
19.	श्वेता	राजकीय महाविद्यालय डीग
20.	सीमा शर्मा (RVRES)	राजकीय महाविद्यालय दूदू
21.	शेवेन्द्र कुमार व्यास	राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर
22.	शिव कुमार मीणा	राजकीय महाविद्यालय जमवारामगढ
23.	प्रवीण कुमार खत्री	राजकीय महाविद्यालय खेतडी
24.	खामोश मीणा	राजकीय कन्या महाविद्यालय किशनपोल

25.	के. जी. महावर	राजकीय कला महाविद्यालय कोटा
26.	राजकुमार गर्ग	राजकीय कला महाविद्यालय कोटा
27.	वन्दना शर्मा	राजकीय कला महाविद्यालय कोटा
28.	अनिल कुमार पारीक	राजकीय कला महाविद्यालय कोटा
29.	मनोरंजन सिंह	राजकीय कला महाविद्यालय कोटा
30.	रजनीश कुमार जैन	राजकीय कन्या कला महाविद्यालय कोटा
31.	मीनाक्षी यादव	राजकीय कन्या कला महाविद्यालय कोटा
32.	हिम्मताराम	राजकीय महाविद्यालय कोटडा
33.	राम किशोर उपाध्याय	राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ अलवर
34.	महेन्द्र	राजकीय महाविद्यालय लूणी
35.	गरिमा सिहाग	राजकीय महाविद्यालय मांगरोल
36.	कमलेश शर्मा	राजकीय महाविद्यालय मारवाड जंक्शन
37.	गजा नन्द शर्मा	राजकीय महाविद्यालय नागौर
38.	योगेश चितारा	राजकीय महाविद्यालय पिण्डवाडा
39.	धमेन्द्र मिश्रा	राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाडा
40.	नीतू	राजकीय कन्या महाविद्यालय पोकरण
41.	शिवराज चौधरी	राजकीय महाविद्यालय सांगोद
42.	सुमन सिंह (RVRES)	राजकीय महाविद्यालय पाटन
43.	स्वप्ना जैन (RVRES)	राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाडा
44.	अविनाश चन्द्र शर्मा	राजकीय कला महाविद्यालय सीकर
45.	हेतराम सिंह	राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर
46.	रीना श्रीवास्तव	राजकीय महाविद्यालय सिरोही
47.	अन्जना भागोतिया	राजकीय महाविद्यालय टोंक
48.	ओ. पी. मीणा	राजकीय महाविद्यालय टोंक
49.	देशराज यादव	राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली
50.	मन्ना लाल मीना	राजकीय महाविद्यालय बस्सी

9. सभी नामित प्रशिक्षणार्थियों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्देशित/निर्धारित पूरे समय तक ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करनी है।

10. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा।

11. जिन नामित संकाय सदस्यों के नाम में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है,परन्तु महाविद्यालय का नाम एवं उनका विषय सही है, तो वे अपना पंजीकरण करते समय अपना नाम (सरकारी रिकार्ड के अनुरुप) स्वंय सही कर लें। इसके लिये अनावश्यक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।

12. जिन संकाय सदस्यों को इन प्रशिक्षण में नामित किया गया है और वे पहले से ही किसी इंडक्शन/ओरिएण्टेशन/रिफ्रैशर/ट्रेनिंग प्रोग्राम में आयुक्तालय की ओर से नामित किया गया है अथवा अनुमति प्राप्त हो गई है। यदि ऐसे नामित संकाय सदस्यों का उपर्युक्त प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है, तो उन्हें इन प्रशिक्षणों के तब तक के चरणों से मुक्त किया जाता है, जब तक कि उनके उपर्युक्त प्रोग्राम की अवधि है। परन्तु यदि उनको अनुमति प्राप्त नहीं हुई है अथवा उनका प्रशिक्षण आरम्भ नहीं हुआ है तो उन्हें इन ज्ञान गंगा कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति देनी होगी। यदि ज्ञान गंगा कार्यक्रम में ज्वाइन करने के उपरान्त उन्हें इंडक्शन/ओरिएण्टेशन/रिफ्रैशर/ट्रेनिंग प्रोग्राम में आयुक्तालय की ओर अनुमति अथवा आदेश प्राप्त हो जाता

है तो उन्हें ज्ञान गंगा कार्यक्रम को बीच में छोडकर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है, परन्तु तब तक उन्हें ज्ञान गंगा कार्यक्रम में ज्वाइन करना अनिवार्य है। इस संबंध में पूर्व में ही पत्रांक 233; दिनांक 22 जनवरी 2021 के जरिये आदेश जारी किये जा चुके हैं।

13. उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी आकस्मिक परिस्थिति को छोडकर अन्य किसी भी प्रकार के आधार पर इन कार्यक्रमों में सहभागिता से मुक्ति के लिये प्रयास नहीं करें।

14. सभी प्रशिक्षणार्थियों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रतिदिन ऑनलाइन फीडबैक देना अनिवार्य है। यह फीडबैक आयोजकों द्वारा यथा निर्देशित प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उसी दिन ऑनलाइन जमा कराना होगा।

15. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूर्ण होने पर सभी प्रशिक्षणार्थी एक सादे कागज पर अपना फीडबैक लिखकर संबंधित प्राचार्य को जमा करवायेंगे, जिसे कि प्राचार्य द्वारा आयुक्तालय को नवाचार प्रकोष्ठ की मेल **gyanganga.cceraj@gmail.com** पर **दिनांक 09 मार्च 2021 तक** भिजवाया जाना अनिवार्य है।

इस संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता अथवा मार्गदर्शन हेतु नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ के निम्न अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं –

1.	डॉ. विनोद कुमार भारद्वाज	: प्रभारी अधिकारी नवा. एवं कौशल विकास	94143 04650
2.	डॉ. शिवांगना शर्मा	: सह आचार्य, नवा. एवं कौशल विकास	94615 19852
3.	डॉ. ललिता यादव	: सह आचार्य, नवा. एवं कौशल विकास	95299 93619
4.	डा. विश्राम मीणा	: सहा. आचार्य, नवा. एवं कौशल विकास	99503 73686

23/02

संदेश नायक, IAS
आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

पत्रांकः CCE/ISDC/FDP/Gyan Ganga/2020-21/**359;** दिनांकः 23 फरवरी 2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, आकाशि, जयपुर।
5. प्राचार्य राजकीय कला महाविद्यालय अलवर।
6. समस्त, क्षेत्रीय सहायक निदेशक, सम्भाग कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
7. संबंधित नामित संकाय सदस्य, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
8. वैबसाइट प्रभारी को अपलोड/ई–मेल करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

23/2/2021

डा. विनोद कुमार भारद्वाज
प्रभारी अधिकारी,
नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ